



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख (कक्ष-संरक्षण)

तृतीय तल, ए. ब्लाक वन भवन, तुलसीनगर भोपाल मध्यप्रदेश
Tel. (Office) 2674212, 2551450 (Fax) 2551450, Email: apccfprot@mp.gov.in

क्रमांक/वन अपराध/10-10/4675
प्रति,

भोपाल, दिनांक 07/11/2025

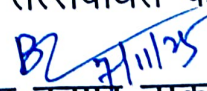
वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल अनुपपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वाहा,
बड़वानी, धार, अलीराजपुर, हरदा, जबलपुर, पूर्व मण्डला,
पश्चिम मंडला, डिण्डोरी, देवास, नरसिंहपुर, उत्तर सिवनी,
सीहोर, नौरादेही
मध्यप्रदेश

विषय— जीवनदायिनी मां नर्मदा के जल को निर्मल तथा प्रवाह को अविरल रखने
एवं समग्र विकास हेतु विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक दिनांक 13.8.2025
का कार्यवाही विवरण में दिये गये निर्देशों के संबंध में।
संदर्भ— इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 3705 दिनांक 18/08/2025, 3990
दिनांक 9/09/2025, 4159 दिनांक 19/09/2025

—00—

विषयांकित संदर्भित पत्रों का अवलोकन कीजिये जिसके द्वारा नर्मदा नदी के 5 कि.मी. की परीधि में आने वाले वन कक्षों में अतिक्रमण से संबंधित है जिसमें मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक /FOR/0667/2025/10-3 दिनांक 21.08.2025 द्वारा नर्मदा नदी के 5-5 किमी के दायरे में आने वाले वन क्षेत्र को तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के तारतम्य में पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वनक्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त कराया जावे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावे, कि वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकार पत्र हेतु आवेदन किये गये कब्जेधारियों के आवेदन के निराकरण के बाद ही तत्संबंधित के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही की जावे।


(बिभाष कुमार ठाकुर)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ0क्रमाक / 4676

भोपाल, दिनांक 07 / 11 / 2025

प्रतिलिपि :- मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल, जबलपुर, बैतूल, इन्दौर, नर्मदापुरम, भोपाल, सागर, खण्डवा, सिवनी, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

82/11/25

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
मध्यप्रदेश भोपाल